फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री शैलेन्द्रनाथ चौहान निवासी गांव काजियावास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा **– प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 22 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.04.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :– सू0अ0 / राजस्व / 2026 / 288 दिनांक 13.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाही गयी है। उक्त सूचना के संबंध संबंधित न्यायालय में राजस्व प्रकरण विचाराधीन होकर उस प्रकरण से संबंधित सूचना है। उक्त सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी के यहां पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। सामान्यतः न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया जाना न्याय संगत नही है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित है। इस संबंध में अनुतोष प्राप्त किये जाने हेतु अपीलार्थी न्यायिक प्रावधानों के अनुरूप सक्षम / संबंधित न्यायालय से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी से संबंधित नही होकर न्यायालय प्रकरण से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना फरमावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाएं संबंधित न्यायालय में राजस्व प्रकरण विचाराधीन होकर उस प्रकरण से संबंधित सूचना है। उक्त सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी के यहां पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। सामान्यतः न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया जाना न्याय संगत नही है। इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण में आप किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हो तो प्रकरण	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर नाथद्वारा के न्यायालय में दर्ज होने से न्यायालय सहायक कलक्टर नाथद्वारा से सूचना प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, उक्त बाबत प्रार्थी को जरिये पत्रांकः सू0अ0/राजस्व/2026/289 दिनांक 13.04.2026 से सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांकः सू0अ0/राजस्व/2026/289 दिनांक 13.04.2026 से वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)